राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष नं. 0141–2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप–8/वी.सी/2020 जयपुर, दिनांक :– 05/03/2021

वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2021 को विभाग के समिति कक्ष से जिला परिषद के मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, परियोजना प्रबंधक राजीविका तथा राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों के साथ समस्त योजनाओं की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी।

समीक्षा बैठक में योजनावार निम्न निर्देश दिये गये।

महात्मा गांधी नरेगा –

1. अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना:–

वर्ष 2018–19 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु बार–बार निर्देशित किया गया परन्तु वर्तमान स्थिति अनुसार 67568 कार्य अपूर्ण है। अधिकतम अपूर्ण कार्यों की संख्या वाले जिले हैं– उदयपुर(9750), बाडमेर(7805), प्रतापगढ(3684), टोंक(3844), जैसलमेर(3599)। इस संबंध में जिले की समस्त पंचायत समितियों की समीक्षा करते हुए कार्यों को पूर्ण कराया जावे। योजनान्तर्गत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण उपयोगिता भी सुनिश्चित करावें।

2. समयबद्ध भुगतान :–

योजनान्तर्गत श्रमिकों को 8 दिवस में शत–प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में कम प्रगति वाले जिलों द्वारा जिला स्तर से व्यक्तिगत रूप से एमआईएस चैक करते हुए लम्बित मस्टररोल की दैनिक समीक्षा कर कम प्रगति के कारणों का विश्लेषण किया जावे ताकि अगले वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत समयबद्ध भुगतान संभव हो सके।

3. योजनान्तर्गत इच्छुक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार :–

81–90 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की समीक्षा करते हुये 100 दिवस पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष योग्यजन को योजनान्तर्गत मांग अनुसार अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावे।

4. रिजेनरेशन ऑफ रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन :–

समस्त जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक के लम्बित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन रिजेनरेट कराने हेतु जिला स्तर से विस्तृत समीक्षा की जावे। सर्वाधिक संख्या में लम्बित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन वाले जिले करौली(10644), बांसवाड़ा(17321), डूंगरपुर(5688), बीकानेर(8011), बाडमेर(6775), उदयपुर(10124) द्वारा 03.03.2021 तक रिजेनरेट कराया जाना सुनिश्चित करावें।

5. महिला मेट :–

पंचायत समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट नियोजित किये जाने हेतु प्रयास किये जावें। इस संबंध में विकास अधिकारियों को महिला एसएचजी अथवा अन्य संसाधन के माध्यम से महिलाओं का डेटाबेस तैयार कर अधिक से अधिक महिला मेट प्रशिक्षित किये जाने तथा नियोजित किये जाने हेतु पाबंद किया जावे। ग्राम पंचायत स्तर से मेट नियोजन की प्राप्त सूची पर विकास अधिकारी द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाकर महिला मेट के नियोजन को प्राथमिकता दी जावे।

6. जियो एमजीनरेगा :–

1. फेस–I के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2017 तक पूर्ण हुये समस्त कार्यों को जियो टैग किया जावे।
2. फेस–II अन्तर्गत during and after completion स्तर के समस्त कार्यों की जियो टैगिंग पूर्ण कर ली जावे।

7. एनआरएम कार्यों पर व्यय :–

योजनान्तर्गत समस्त एमडब्ल्यूसी ब्लॉक्स में 65 प्रतिशत से अधिक एनआरएम कार्यों पर व्यय सुनिश्चित किया जावे।

8. निरीक्षण :–

योजनान्तर्गत कार्यों की मोनिटरिंग हेतु निरीक्षण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। परन्तु विभागीय परिपत्र दिनांक 29.12.2020 में उपलब्ध प्रावधानानुसार जिलों में निरीक्षण नहीं कराये जा रहें है। अतः योजना की मोनिटरिंग हेतु प्रगतिरत कार्यों के प्रभावी निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही किये गये निरीक्षणों को सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करवाया जावे।

9. पूरा काम पूरा दाम :–

जिला/पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 16.12.2020 से 15.02.2021 तक चलाये जाने वाले पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जावे तथा अधिक

से अधिक कार्यों पर प्रशिक्षित महिला मेट नियुक्त की जावे। सघन मोनिटरिंग एवं कार्मिकों से प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिकों की औसत मजदूरी दर बढाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही मस्टररोल जारी करते समय प्रपत्र–6 में वर्णित ग्रुप के अनुसार ही श्रमिकों को नियोजित किया जावे ताकि श्रमिकों द्वारा किये गये काम का पूरा दाम प्राप्त हो सके।

10. रील :–

जिला स्तर पर रील सौलर के रख–रखाव हेतु लम्बित राशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण–

1. सभी जिलों को प्रोजेक्ट वाईज रिव्यू कर अपनी ग्रेड सुधारने के निर्देश प्रदान किये गये।
2. पूर्ण हुये कार्यों को हस्तान्तरित करने, भ्रमण एवं निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने, ऑडिट पेरा का निस्तारण करने, एवं कार्यों की सफल कहानियाँ तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिससे ग्रेडिंग मे सुधार हो सके।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में बन्द हुई योजनाओं की सीए ऑडिट रिपोर्ट भिजवाने, उसकी समीक्षा करे तथा खाता समायोजन करने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. राजीव गांधी जल संचय योजनान्तर्गत इंडिकेशन जारी है, उनकी सेक्शन 150 प्रतिशत तक निकालने एवं पैसे का उपयोग करने के निर्देश प्रदान किये गये।
5. राजीव गांधी जल संचय योजनान्तर्गत कार्य की गुणवत्ता बनाने तथा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजन कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–

1. LOB एवं NOLB के बकाया शौचालय निर्माण के संबंध में निर्देश दिये कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सबसे अधिक बकाया निर्माण वाली पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर उनका भ्रमण करे एवं नियमित समीक्षा करे।
2. निर्मित किये गये व्यक्तिगत शौचालय की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी को भुगतान नहीं किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि जिन जिलों में दस हजार से अधिक शौचालयों का भुगतान लम्बित है (पाली, उदयपुर, प्रतापगढ़, सीकर, अजमेर, बाड़मेर, नागौर, अलवर, डूंगरपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, झालावाड़ एवं करौली) उन्हे कारण बताओं नोटिस जारी किया जावे।
3. ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की डीपीआर तैयार करने की प्रगति संतोषजनक है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि Timeline के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करे।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण–

1. अपूर्ण आवासों में अधिक बकाया वाले जिलों बाडमेर, उदयपुर, जोधपुर, जालोर, डूंगरपुर, बारां जिलों को 31 मार्च 2021 तक आवास पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही शासन सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन आवास पूर्ण करने की दर बढाने के निर्देश प्रदान किये गये। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य अधिकारी बाडमेर को 1–7 मार्च 2021 तक जिला भ्रमण पर रहकर अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. आवास ऋण उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रावि को बैंक से चर्चा कर बैंक प्रतिनिधि को बांसवाड़ा एवं टोंक भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
3. आवास पूर्ण होने के उपरान्त भी लाभार्थी को अन्तिम किश्त के भुगतान में विलम्ब को गम्भीरता से लिया गया। इस संबंध में शासन सचिव महोदय द्वारा ज्यादा आवास लक्ष्य वाले जिलों में टीम भेजकर प्रकरण निस्तारित करवाने के निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही जिला स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग करने, फिल्ड विजिट करने हेतु सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
4. मेसन प्रशिक्षण में अजमेर, भरतपुर, चित्तौडगढ, धौलपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही एवं बीकानेर जिले की प्रगति न्यून है, इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण लेने हेतु निर्देशित किया गया।
5. भूमिहीन परिवारों हेतु आवास स्वीकृत करने के उपरान्त भी जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में रोड मेप बनाकर भूखण्ड आवंटित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

ग्रामीण विकास की अन्य योजनाऐं –

1. **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना –** योजनान्तर्गत पांच पैरामीटर्स के अनुसार निर्धारित ग्रेडिंग/रैंकिंग के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रगति में सुधार हो सके। साथ ही बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करावें।
2. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना –** Ex. MP's की एमपीआर IWMS पर एवं Sitting MP's की एमपीआर को "mplads.gov.in" Portal पर इंद्राज किया जावे। साथ ही राज्यसभा एवं लोकसभा के पुराने खातों को बन्द कर शेष राशि को नये खाते में हस्तांतरित किया जावे।
3. **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम –** वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक के प्राप्त राशि का शत–प्रतिशत यूसी/सीसी भिजवायें। अप्रारम्भ कार्य को प्रारम्भ/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. **डांग/मगरा/मेवात क्षेत्र विकास योजना –**योजनाओं में अप्रारम्भ एवं प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण एवं निर्धारित समय में की यूसी/सीसी समायोजन करावें।

5. **सांसद आदर्श ग्राम योजना** – तृतीय चरण में अलवर जिले की चोमा ग्राम पंचायत की प्रगति पोर्टल पर अपलोड एवं पंचम चरण में चयनित 11 आदर्श ग्राम पंचायतों की वीडीपी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. **महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास/स्व–विवेक योजना** – निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रदत्त 9 सुझाओं पर चाही गयी सूचना उपलब्ध करावें। पी.डी. खाते में शेष रही राशि का उपयोग एवं यूसी/सीसी का समायोजन करावें।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना –

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

राजीविका–

1. Institution Building:-

1. जिलो में बैंक द्वारा सभी समूहों के खाता खोलने के फार्म स्वीकार नहीं किये जा रहें हैं एवं साप्ताहिक केवल 2 ही समूह के फार्म स्वीकार किये जा रहे है, इससे सभी समूहों के खाते समय पर नहीं खुल पा रहे हैं। अतः सभी बैंकों को समूह के खाते प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु DLBC की बैठक कर निर्देशित किया जावे।
2. ICICI बैंक द्वारा समूह के खाते खोलने में काफी देरी की जा रही हैए अतः ICICI बैंक को समूह के खाते तत्काल खोले जाने हेतु निर्देश किया जाये।

2. Finance Inclusion:-

1. SHG Credit Linkages (Target Vs Achievement upto Jan, 2021)- वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आंवटित एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के भौतिक लक्ष्य आंवटित किये गये थे, जिसके सापेक्ष निम्नलिखत जिलों की प्रगति भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष अत्यधिक न्यून है :– जैसलमेर (04:), जालौर (06:), हनुमानगढ (15:), बाडमेर (19:), नागौर (19:), श्रीगंगानगर (20:), जोधपुर (20:) एवं सिरोही (24:)।
2. अतः समस्त जिलो को निर्देशित किया जाता है कि जो भौतिक लक्ष्य आंवटित किये गये थे, उसके अनुरुप शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करे। साथ ही दिनांक 01 मार्च 2021 से 6 मार्च 2021 तक बैंक शाखावार क्रेडिट कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमे सभी लम्बित ऋण आवेदनों का आवश्यक रूप से निस्तारण करावें।
3. SHG Credit Amount Disbursement - जैसलमेर (01%), बाडमेर (08%), जालौर (13%), हनुमानगढ (17%), श्रीगंगानगर (16%), बीकानेर (21%), करौली (23%), जोधपुर (23%), सिरोही (24%), एवं सवाईमाधोपुर (26%) उपरोक्त जिलों की एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अत्यधिक न्यून है। अतः समस्त जिलों को निर्देशित किया जाता है, कि जो वित्तीय लक्ष्य आंवटित किये गये थे, उसके अनुरूप शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करे साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा

निर्देशों की अनुपालना करते हुये समूहों को वित्त पोषित करवाये ताकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति अर्जित की जा सके।

4. Not withdrawn.Bank Loan amount - दिनांक 27 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक कुल 6787 स्वयं सहायता समूहों को राशि रूपये 101.28 करोड रूपये का वित्त पोषण करवाया गया, जिसके सापेक्ष 5196 स्वयं सहायता समूहों द्वारा राशि 78.51 करोड का आहरण स्वयं सहायता समूहों द्वारा कर लिया गया है। किन्तु 1591 स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण राशि 22.77 करोड का आहरण करना शेष है। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त स्वयं सहायता समूहों को मार्गदर्शित करे कि ऋण राशि का आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों मे सदुपयोग करें।
5. समस्त जिलों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि DAY-NRLM बैंक लिंकेज पोर्टल पर उपलब्ध **Unutilized CC limit** का यूटिलाईजेशन 15 मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से करावें।

3. Farm-Livelihood:-

1. Custom Hiring Center – समस्त जिले जिनके द्वारा एनआरएलएम आजीविका परियोजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपकरण नही खरीदे हैं, वे सभी 15 मार्च, 2021 तक कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपकरण खरीदना सुनिश्चित करे।
2. Kitchen Garden – वित्तीय वर्ष 2020–2021 मे सभी जिलो को लक्ष्य के अनुसार 15 मार्च, 2021 तक फार्म आजीविका के तहत किचन गार्डन का विकास सुनिश्चित करना।

4. Convergence:-

1. महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेन्स केटेगरी–बी के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन का पी.आई.ए. का दर्जा दिया गया है। उनके द्वारा नरेगा केटेगरी–बी के काफी कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारम्भ है इन कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को उक्त कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

5. Non-Farm:-

1. PM FME के अन्तर्गत जिलो को दिये गये वार्षिक लक्ष्यों को शत–प्रतिशत अर्जित कराना सुनिश्चित करे।

बायोफ्यूल प्राधिकरण–

1. जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर एवं झुन्झुनू जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उनके अधीनस्थ पंचायत समिति स्तर पर बायोगैस संयंत्रों के लम्बित 124 भौतिक सत्यापन का कार्य 10 मार्च 2021 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. बीकानेर जिलें में घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के परिपेक्ष में योजना को गति प्रदान करने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के आवेदन प्राप्त किये जाने तथा इन आवेदनों को जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के माध्यम से बायोफ्यूल प्राधिकरण को

भिजवाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को निर्देशित किया गया।

3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के समन्वय से योजना को समस्त जिलों में विस्तारित करने के क्रम में बायोफ्यूल प्राधिकरण को समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को योजना का विवरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. पौधारोपण कार्यक्रम मे अन्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध माह फरवरी 2021 तक अर्जित भौतिक उपलब्धियों की सूचना 10 मार्च 2021 तक भिजवाने हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

पंचायती राज–

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त महोदया द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई–

i. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
ii. लोक योजना अभियान।
iii. स्वामित्व योजना।
iv. ई–पंचायत।
v. वित्त आयोग अनुदान।
vi. लंबित जांच प्रकरण।
vii. भवन निर्माण।

1. <u>राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)</u> :– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2018–19 से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सा राशि का अनुपात 60:40 का है। मुख्य उद्देश्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियो/कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन किया जाना है। जिलों को वर्ष 2018–19 में 55.13 करोड़ रूपये आवंटित किया जा चुका है, जिनमें से 35.98 करोड़ राशि का समायोजन किया जाना शेष है। योजनान्तर्गत 54 कार्य अप्रारंभ है, जिन्हे शीघ्र प्रांरभ कर दिये जावेगें। **इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि व्यय राशि का समायोजन किये जाने हेतु बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शीघ्र भिजवावे ताकि भारत सरकार से आगामी किश्त निर्गमित करवायी जा सके इसे प्राथमिकता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त नवीन ग्राम पंचायतो के लिए नये भवन बनाने तथा पुराने भवनों के मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार सूचियां प्रेषित करे।** आगामी वित्तीय वर्ष में भी यह लक्ष्य होगा। आरजीएसए में भरतपुर, नागौर, सीकर, अजमेर, बांरा, टोंक, जोधपुर, दौसा, बीकानेर, गंगानगर एवं कोटा में कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये है। शासन सचिव एवं आयुक्त महोदया ने इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशिंत किया कि सर्वे का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावे, एक सप्ताह में पूर्ण करावे तथा पुरानी गतिविधियों को अन्तिम रूप प्रदान कर पूर्ण करें। डिस्ट्रिक्ट पंचायत रीसोर्स सेन्टर(डीपीआरसी) के अन्तर्गत 726.10 करोड़ राशि में से 195.80 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है, लेकिन चित्तौडगढ, जालौर, राजसमन्द, झुन्झुनू,

बूंदी, प्रतापगढ, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सिरोही में डीपीआरसी का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। उक्त कार्य 2018–19 से लम्बित है, इसे पूर्ण करे अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

2. <u>लोक योजना अभियान</u> :– सबकी योजना सबका विकास के अन्तर्गत जीपीडीपी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर 28 फरवरी 2021 तक ही अपलोड किया जाना है। स्पेशल ग्राम सभा शिड्यूल डिटेल की प्रगति संतोष जनक है लेकिन ग्राम पंचायत प्रमाणीकरण संख्या मय मिशन अन्तोदय, ग्राम सभाओं में जीपीडीपी अनुमोदन की संख्या की प्रगति तथा ई ग्राम स्वराज पर अंतिम रूप से जीपीडीपी अपलोड की प्रगति बहुत कम है। इनकी प्रगति में गुणवत्ता के साथ सभी जिलो में सुधार की विशेष आवश्यकता है। शासन सचिव एवं आयुक्त महोदया ने उक्त कम प्रगति वाले जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र प्रगति में सुधार करे तथा सर्वे का कार्य 31.3.2021 तक पूर्ण किया जावे।

3.<u>स्वामित्व योजना</u> :– राजस्व ग्राम स्तर पर सर्वे समितियों का गठन किया जाना है। जैसलमेर जिले में फरवरी–21 तक शेष जिलों में 07 मार्च 2021 तक किया जाना है। ड्रोन उड़ान से पूर्व आबादी भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड में पंचायत के नाम इन्द्राज किया जाना है। जैसलमेर जिले में 15.03.2021 तक तथा शेष जिलों में 31.03.2021 तक आबादी भूमियों को पंचायत के नाम इन्द्राज किया जाना है। पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के यूजर आईडी और पासवर्ड क्रमशः 07.03.2021 एवं 15.03.2021 तक जनरेट किया जाना है। शासन सचिव एवं आयुक्त महोदया ने समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करे।

4. <u>ई–पंचायत</u> :–आरपीपी बैक खाता पंजीकरण में राज्य औसत 90 प्रतिशत है। 85 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिले यथा–बीकानेर, जोधुपर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौडगढ एवं करौली है तथा ऑन लाईन भुगतान में राज्य औसत 80 प्रतिशत है। विशेष ध्यान देकर इन प्रकरणों को ऑन लाईन पंजीकरण कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

5.<u>वित्त आयोग अनुदान</u> :– 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग–पंचम की उपलब्ध राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किये जाने की कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। 15वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त की राशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवायें। क्योंकि प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने पर ही भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की राशि जारी की जावेगी।

6.<u>लंबित जांच प्रकरणः–</u> जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध 479 प्रकरण लंबित है। 20 से अधिक लम्बित प्रकरणों वाले जिले यथा–जयपुर 56, हनुमानगढ 48, भरतपुर 29, सवाईमाधोपुर 27, पाली 26, अलवर 25 एवं करौली 21 है। संभागीय आयुक्त कार्यालयों में जयपुर, अजमेर,

भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर में अधिक लम्बित प्रकरण विचाराधीन है। जांच प्रभारी संभागीय आयुक्तों को अ.शा. पत्र जारी करवाकर लम्बित जांच प्रकरणों का निस्तारण करवावे।

7. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं अम्बेडकर भवन हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण की प्रगति :– नवसृजित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण एवं अम्बेडकर भवन निर्माण के प्रगति पर चल रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करावे तथा जो कार्य प्रारंभ नहीं किये गये उन्हे शीघ्र प्रारंभ किये जावे तथा जिन भवनों के लिए भूमि आवंटन किया जाना है उसे शीघ्र करवाये तथा उनकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर कार्य प्रारम्भ किया जावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त महोदया के उक्त निर्देशों के बाद जिलो की समस्याओं के संबंध जानकारी ली गयी एवं संबंधित प्रभारी अधिकारियों को समस्या के निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने जीपीडीपी में दौसा जिले में छारेड़ा ग्राम पंचायत जिला दौसा का आदर्श प्लान है इसी तर्ज पर सभी ग्राम पंचायतो के द्वारा प्लान तैयार किये जाने वास्ते निर्देश प्रदान किये गये। इस हेतु एक कमेटी श्रीमती अनुप्रेरणा कुंतल, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित की जावे तथा इसके सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा एव विकास अधिकारी दौसा को बनाया जावे।

अन्त में वीडियो कॉन्फ्रेंस सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(के.के. शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
7 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
8 जिला कलक्टर समस्त।
9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
11 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
12 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
13 संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
14 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
15 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
16 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
17 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
18 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
19 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
20 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
21 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
22 अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास।
23 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।
24 एसीपी (उप निदेशक)/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को कार्यवाही विवरण विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)